न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (जयपुर)
बईलजास श्री विरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.) अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली

अपील संख्या – 14/2013

1. बृजमोहर पुत्र बोदूराम

2. मालीराम पुत्र बोदूराम

समस्त जाति बलाई निवासी जवानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राजस्थान)

–अपीलार्थी/गैरसायलान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राजस्थान)

2. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का जवानपुरा तहसील विराटनगर (जयपुर)

– रेस्पोडेन्ट/प्रत्यर्थी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.02.2013 न्यायालय तहसीलदार विराटनगर मु.न. 32/2013 अनुवानी सरकार जरिये पटवारी हल्का जवानपुरा सरकार बनाम बृजमोहन, मालीराम बलाई गैर सायलान वगैरा धारा 91 एल.आर. एक्ट 956

निर्णय दिनांक : 6.10.15

वकील अपीलान्ट ने उक्त अपील पेश की जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार विराटनगर ने दिनांक 14.02.2013 के निर्णय में यह अभिकथित किया है कि ग्राम जवानपुरा के ग्रामवासियो की शिकायत प्रार्थना पत्र गैर मुमकिन रास्ता व चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्राप्त होने पर पटवारी हल्का जवानपुरा से अतिक्रमण सम्बन्धि रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का जवानपुरा ने अपनी रिपोर्ट में बृजमोहन, मालीराम पुत्र बोदूराम कौम बलाई द्वारा फसल रबी में खसरा नम्बर 1614/1 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.05 हैक्टैयर में से 0.03 हैक्टैयर की भूमि पर मैथी व सरसो की काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की तथा अतिक्रमण की रिपोर्ट पर विशेष विवरण में अतिक्रमी को पश्चावर्ती अतिक्रमी बताया। तथा गैरसायलान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिया कि अतिक्रमण की गई भूमि 1614/1 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.03 हैक्टैयर में से बेदखल करने के आदेश दिये तथा फसल को जब्त सरकार कर नीलाम करने व लगान का 50 गुना शास्ति 12/– रूपये से दण्डित किया जाता है। बेदखल करने के उपरान्त भी अतिक्रमीयो ने पुनः मैथी व सरसो की काश्त कर अतिक्रमण किया। इस पर पश्चावर्ती अतिक्रमी के आरोप में 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। गैरसायल को पहले कभी उपरोक्त आरोपित भूमि से मौके से कभी पटवारी हल्का द्वारा बेदखल नही किया गया। जमा की रसीद देने से यदि उनके हस्ताक्षर करा लिये हो तो उस बेदखली से वे बाध्य नही है। फसल नीलाम करने के आदेश के पूर्व फसल हटाने का कोई समय अधिनस्थ न्यायालय ने गैरसायल को नही दिया ना ही कब्जा हटाने का समय दिया तथा तमाम कार्यवाही एकपक्षीय आदेश, निर्णय एवं थानाधिकारी को दी गई सजा के वारंट एक ही दिन में दिये गये। लिक्ष्मण लीलाराम पु मुक्तिलाल कौम बलाई दोनो व बृजमोहन, मालीराम सगे भाई है जो अनुसुचित जाति के गरीब एवं जवानपुरा गांव में जाट समुदाय की बहुलता को देखते हुये अल्पसंख्यक वर्ग के कमजोर आय एवं व्यवसायहीन काश्तकार व्यक्ति है जिनसे अडौसी पडौसी जाट समुदाय के लोग रिछपाल वगैरा रजिंश रखते है। जिनकी शिकायत पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है। तथाकथित समर्पणनामा दिनांक 23.08.2012 भी रिछपाल वगैरा ने 1613 व 1614 का उत्तरी हिस्सा बताकर रास्ता कायम कराने के

मुकदमा उपरोक्त अनुवानी होने दिनांक 05.02.2013 तक कोई सूचना उक्त समर्पणनामा या इन्द्राज जमाबन्दी आदि की नही दी। अतः अपील स्वीकार फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। जिस पर पेरोकार सरकार उपस्थित आये।

हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अपीलान्ट की प्रोपर तामील नही हुई। तामील चस्पानगी से बताई गई है जबकि अपीलान्ट के घर पर किसी प्रकार का कोई सम्मन चस्पा नही किया गया। दिनांक 14.02.2013 को एक ही दिन में गवाहान के बयान वगैरा के बयान लेकर फैसला कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.02.2013 को ही अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की एवं उसी दिन बिना सुनवाई का मौका दिये फैसला भी कर दिया। गैरसायलान को पूर्व में कभी भी मौके से बेदखल नही किया गया तो पश्चावर्ती अतिक्रण कैसे किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पूर्व में बेदखली की दिनांक भी अंकित नही की। अखबार में निर्णय साया करवाकर हमे हतोत्साहित किया गया। निर्णय में गांव वालो की शिकायत का हवाला है जबकि ना ही कोई शिकायत पत्रावली है ना ही कोई बयान लिऐ गये है। पडौसी शिकायतकर्ता के साथ हमारे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर में मुकदमे चल रहे है। अतः उन्होने दुर्भानावश शिकायत की है। खसरा नम्बर 1614 का रकबा 21 एयर मौके पर नही है फिर भी तहसीलदार ने इसमें से 5 एयर का समर्पणनामा लेकर रास्ता कायम कर दिया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के स्टे के दौरान ही उक्त 5 एयर का समर्पणनामा लेकर रास्ता कायम किया गया है। खसरा नम्बर 1614 के संबंध में मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 26.07.2012 को तैयार की गई। इसमें पत्थरगढी करवाया जाना संभव नही है अतः सेटलमेनट से पत्थरगढी कराया जाना उचित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के आदेश दिनांक 05.02.2013 में खसरा नम्बर 1614 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये। अतः उक्त तथ्यो को देखते हुये अपील स्वीकार फरमावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायलान को उक्त प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी चस्पानगी करवाने के उपरान्त भी उपस्थित नही आने पर गैरसायलान/अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं मौका जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमावे।

हमने बहस सुनी। पत्रावली पर प्रस्तुत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के प्रकरण की सत्यापित प्रतिलिपी के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नम्बर 1614 के सम्बन्ध मे एक प्रकरण न्यायालय एस.डी.ओ. विराटनगर में भी विचाराधीन था जो दिनांक 05.02.2013 को निर्णित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश जो तहसीलदार विराटनगर द्वारा पारित किया गया है, उसमें भी गैरसायलान के विरूद्ध 91 की कार्यवाही खसरा नम्बर 1614 के सम्बन्ध में ही की गई है। इस प्रकार दोनो प्रकरण खसरा नम्बर 1614 के सम्बन्ध में ही है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 14.02.2013 मु.न. 32/2013 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार विराटनगर को निर्णय प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के आदेश दिनांक 05.02.2013 को मध्येनजर रखते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कोटपूतली के नाम जारी हो।